न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22 / 2022 **दायर दिनांकः 17 / 08 / 2022**

उनवान

1. सुमित्रा बाई आयु 51 वर्ष पुत्री भैरूलाल जाति मेहर निवासी मुसैन माता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री यशद्युमन सिंह।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 12 / 11 / 2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम एवं माल मुसैन माता तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 98 कुल किता 5 का रकबा 2.43 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072—2075 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने इंतकाल दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थिया सुमित्रा बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर बच्चदी बाई पुत्री भैरूलाल कर दिया। त्रुटिवश दर्ज हुए नाम का न्यायहित में दुरूस्त होना अति आवश्यक है। प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थिया को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है। बैंकिंग कार्यों किसान योजनाओं आदि के लिए भी प्रार्थिया को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है। जिससे प्रार्थिया को कई प्रकार की असुविधाऐं होती है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी एवंज न आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम सुमित्रा बाई ही दर्ज है। इस अनुसार प्रार्थिया प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटियों को

दुरूस्त करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया ने श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू से दिनांक 02.08.2022 को नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो उन्होने आप श्रीमान के यहां कार्यवाही करने की हिदायत दी। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम मुसैन माता तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया का नाम दुरूस्त कर बच्ची बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर सुमित्रा बाई पुत्री भैरूलाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 सुमित्रा बाई पुत्री भैरूलाल जाति मेहर निवासी मुसैन माता का शपथ पत्र पेश किया गया तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने सशपथ बयान किया कि मुसैन माता तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 98 कुल किता 5 का रकबा 2.43 है0 आराजी मेरे सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसमे मेरा नाम बच्चीबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज रिकार्ड है जो मेरा गलत नाम है। गलत नाम दर्ज होने से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड रहा हैं । इसलिए दस्तावेजों के आधार पर मेरा नाम बच्ची बाई के स्थान पर सही नाम सुमित्राबाई दर्ज किया जावे ।

3. अभिभाषक प्रार्थीया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम बच्चीबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर सही नाम सुमित्रा बाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार अटरू उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थिया के अनुतोष को न्यायालय में सहमति से स्वीकार किया।

4. अभिभाषक प्रार्थीया व पेराकार सरकर की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मुसेनमाता की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 98 के ख0नं0 106 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 109/701 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 503 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 510 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 511 रकबा 0.16 है0 किता 5 कुल रकबा 2.43 है0 भूमि शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थिया का नाम बच्चीबाई पुत्री भैरूलाल हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड में सुमित्रा बाई पत्नि सीताराम, जनआधार कार्ड में सुमित्रा बाई, मतदाता पहचान पत्र में सुमित्राबाई पत्नि सीताराम, राशन कार्ड में सुमित्रा बाई मेहर दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थिया का सही नाम सुमित्रा बाई है।

5. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मुसेनमाता की खाता संख्या 98 के ख0नं0 106 रकबा 2.00 है0, ख0नं0 109/701 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 503 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 510 रकबा 0.09 है0, ख0 नं0 511 रकबा 0.16 है0 किता 5 कुल रकबा 2.43 है0 आराजी में सहखातेदार बच्चीबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर सुमित्रा बाई उर्फ बच्चीबाई पुत्री भैरूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां